

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// संशोधित अधिसूचना //


नया रायपुर, दिनांक 01/05/2017


क्रमांक एफ 10-4/2016/16 :- राज्य शासन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) तथा धारा 3 एवं 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 29.03.2017 द्वारा 45 सामान्य नियोजनों के लिए दिनांक 01.04.2017 से न्यूनतम वेतन दरें एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें पुनरीक्षित की गई है। राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुये अधिसूचना के अनुसूची-"दो" के कॉलम 5 में उल्लेखित मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नानुसार संशोधन करता है :-

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल -	अ	8320.00	320.00
		ब	8060.00	310.00
		स	7800.00	300.00
2	अर्द्धकुशल -	अ	8970.00	345.00
		ब	8710.00	335.00
		स	8450.00	325.00
3	कुशल -	अ	9750.00	375.00
		ब	9490.00	365.00
		स	9230.00	355.00
4	उच्च कुशल -	अ	10530.00	405.00
		ब	10270.00	395.00
		स	10010.00	385.00

2/ उपरोक्त संशोधन दिनांक 01.04.2017 से प्रवृत्त होगी।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(याकुब खेस्स)
उप सचिव,

 छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर(छ०ग०)।
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ०ग०)।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर(छ०ग०)।
4. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, नया रायपुर (छ०ग०)।
7. समस्त उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नया रायपुर (छ०ग०)।
8. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ०ग०)।
9. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ०ग०)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।


उप सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग